

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 1972/आषाढ़ 19, 1894

No. 181]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 1972/ASADHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 10th July 1972

G.S.R. 334(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of July, 1972.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) of column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of Second Schedule.

(861)

Provided further that the price specified in this Order is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommends and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month.

Explanation—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the period specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S.N.	Category of Jute bags	Maximum ex-factory price.
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B. Twill bags of the size 44"×26½" weight 2½ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS: 2566-1965 as amended upto date).	Rs. 222.81 per 100 bags.
2.	DW Flour Bags 44"×26" HD weight in proportion 56"×28" HD, 2½ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain dry sewn.	Rs. 200.40 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags Warp way	Waft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength	160 Kg. Rs.	165 Kg. Rs.
160	..	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	

[No. 18012/1/72-Tex(D).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1972

जी० एस० आर० 334 (अ) :- भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 क उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के साथ पठित, उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई और तत्सम्बन्धी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्तुओं के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्वारा इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्तुओं की किस्में जुलाई, 1972 के मास में खरीदी या बेची जायेंगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या में 1 में उल्लिखित पटसन के वस्तुओं की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किये गये मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुसूची प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमत संशोधित की जा सकती है और अन्त में ऐसी दर पर निर्धारित की जायगी जिसको टैरिफ आयोग सिफारिश करे तथा इस प्रकार अन्तिम रूप से निर्धारित की कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभारक को जुलाई, 1972 में सुपुर्देगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्तुओं की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किये गये किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्यात की गई हो।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
(1)	(2)	(3)
1	स्टैंडर्ड बी टबिल बोरे-साइज. 44" × 26. 1/2" वजन 2. 1/2 पाउंड प्रति बोरा 6 × 8, 3 ब्ल्यू, खुशक सिला हुआ और जोष सभी प्रकार से वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (संख्या आई० एस० 2566-1965 अवयतन यथा संशोधित)।	222.81 रुपये प्रति 100 बोरे

(1)	(2)	(3)
2	डी० डब्ल्यू आटे के बोरे 44" × 28" एच० डी० अनु- पात के अनुसार वजन, 56" × 28" एच० डी० 2. 1/2 पौड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुशक सिला हुआ ।	200.40 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

धारण क्षमता (ब्रेकिंग स्ट्रैथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी (ताने में)	(बाने में)
आई० एस० एस० स्टैंडर्ड	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
(ब्रेकिंग स्ट्रैथ)	रुपये	रुपये
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	—

[सं० 18012/1/72-टैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।